

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11438/6289

दिनांक :- 7-12-2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री चंद्र प्रकाश सिंह [लिंक न. 11438] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, जोधपुर - [1117] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/09/2018 से 23/10/2018 तक 29 दिवस

कुल 29 दिवस

उक्त कुल 29 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री चंद्र प्रकाश सिंह की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11438/6289.

दिनांक :- 7-12-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, जोधपुर
2. कोषाधिकारी जोधपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री चंद्र प्रकाश सिंह [11438] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, जोधपुर
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)